न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/180/2018

उनवान

1. सलीम मोहम्मद पुत्र शफी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. शब्बीर मोहम्मद आत्मज शफी मोहम्मद मुसलमान निवासी गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
2. हकीम मोहम्मद आत्मज शफी मोहम्मद मुसलमान निवासी गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

वादी/रेस्पोडेण्ट्स

3. सिराज मोहम्मद उर्फ सिरज मोहम्मद पुत्र शफी मोहम्मद मुसलमान निवासी गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के प्रकरण संख्या 95/2016 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.10..2017

अधिवक्तागण :—

1. श्री पुनीत शर्मा , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री विजय जीनगर अधिवक्ता प्रत्यर्थी सख्या 3
3. श्री विवेकानन्द शर्मा, प्रत्यर्थी संख्या 1, 2
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 21.8.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 /वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सहाडा के बेरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी नम्बर 5999 रकबा 0.04 है0, आराजी नम्बर 6002 रकबा 0.35 है0, आराजीनम्बर 6343 रकबा 0.21 है0, आराजी नम्बर 6344 रकबा 0.24 है0, आराजी नम्बर 6345 रकबा 0.32 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 1.16 है0 भूमि खाता संख्या 1214 पर स्थित है। उपरोक्त आराजियात में वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, तथा वादी संख्या 2 का 1/4 यानि वादीगण का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा निहित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 अपने अपने हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के मध्य राजस्व खाता आपस में सामलाती दर्ज रेकार्ड रहने से वादीगण को लगान जमा कराने अपने हिस्से की भूमि को उपजाऊ बनाने, विकसित करने, ऋण आदि की सुविधा प्राप्त करने, भूमि को संपरिवर्तित कराने में भारी अडचन पैदा रहती है। जिससे वादीगण वाद पत्र में अंकित आराजी नम्बर (आता चाह) 5999 को छोडते हुए शेष आराजियात का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिवत रूप से विभाजन करवा अपने संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से का स्वतंत्र राजस्व खाता रेवेन्यू रेकार्ड में खुलवाना चाहते हैं एवं स्वतंत्र कब्जा प्राप्त करना चाहते हैं। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 सहखातेदार होने के बावजूद विभाजन से इंकार करने के कारण एवं प्रतिवादी संख्या 3 लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को दिनांक 12.5.2016 को विभाजन कराने के लिए कहा परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 इंकार हो गये।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2. अतः वादग्रस्त आराजियात में से आता चाह नम्बर 5999 रकबा 0.04 है0 को छोडते हुए शेष सभी आराजियात का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिवत रूप से विभाजन कराया जाकर वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा एवं वादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा यानि वादीगण का संयुक्त 1/2 हिस्से का स्वतंत्र राजस्व खाता रेवन्यू रेकार्ड में खोले जाने एवं स्वतंत्र कब्जा दिलाये जाने एवं आवागमन के लिए रास्ते सहित विभाजन की आज्ञप्ति बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावे। आता चाह संख्या 5999 रकबा 0.04 है0 को संयुक्त खाते में रखा जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 28.6.2017 को पारित की। बंटवाडा प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 31.10.2017 को पारित की। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की तत्समय जानकारी नहीं हो सकी थी। हाल ही में रेस्पोडेण्ट्स अपीलार्थी के कब्जेकाश्त की कृषि आराजियात पर आये तथा अपीलार्थी को जबरन बेदखल करने की कोशिश की व कहा कि अपीलार्थी भीलवाडा उदयपुर–भीलवाडा फोरलेन सडके पास वाला सटमा आगे वाला हिस्सा प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने अपने नाम पर करा लिया है। इस कारण वे अपीलार्थी को बेदखल करेंगे। तब अपीलार्थी द्वारा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्रारभिक डिक्री तथा निर्णय व अंतिम डिक्री प्राप्त करने हेु नकल का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । दिनांक 26.4.2016 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त होने पर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जावे। अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपने कथनों की पुष्टि में न्यायिक उद्धरण 2013 (1) आर एल डब्ल्यू, पेज 38, 2011 (1) आर एल डब्ल्यू पेज 459, 2019 (1) आर एल डब्ल्यू पेज 528 की ओर ध्यान आकर्षित कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया ।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने बिना कोई साक्ष्य लिये प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया है जो विधि में पोषणीय नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रकरण में वादीगण रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपने वाद पत्र में मीट्स एण्ड बाउण्ड्स केआधार पर वादग्रस्त आराजियात का विभाजन किये जाने का अनुतोष मांगा है, जबकि प्रकरण में पारित निर्णय व डिक्री के द्वारा जो विभाजन वादग्रस्त आराजियात का किया गया है, उक्त विभाजन मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर नहीं किया गया है । मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन करते समय भूमि का इस प्रकार से विभाजन होना चाहिये की विभाजन के प्रत्येक हितबद्ध पक्षकार को अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि का बराबर विभाजन होता है। इसके

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

तहत आम सडक से भूमि सभी पक्षकारों को समन रूप से लगी हुई होनी चाहिये । किसी भी पक्षकार को आम सडक से वंचित नहीं किया जा सकता है। आवागमन के भी समान विकल्प व सुविधा होनी चाहिये तथा भूमि का उपजाऊ हिस्सा व बंजड हिस्सा भी पक्षकारों में समान रूप से विभक्त होना चाहिये , सिंचाई के साधनों तक समान पहूँच होनी चाहिये तथा उपरोक्तानुसार समान माप व सीमा की भूमि का विभाजन होनी चाहिये परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में उक्त प्रावधानों की पूर्ण अनदेखी कर निर्णय व डिक्री पारित की है। जो विधि में पोषणीय नहीं होकर खारिज योग्य है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जिस बंटवाडा प्रस्ताव व नक्शा ट्रेश के आधार पर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है वह पूर्णतया गलत है। क्योंकि दौराने विचारण ही रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लागयत 3 द्वारा अपीलार्थी से सम्पर्क किया और कहा कि हम मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा प्रस्ताव बनवा देंगे तथा सबको समान स्थिति प्रदान करते हुए बंटवाडा प्रस्ताव बनाया जायेगा । इस कारण रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 3 ने अपीलार्थी को कहा कि अपने हस्ताक्षर करके हमें दे दो, जिससे अपीलार्थी को विधिक कार्यवाहियों में परेशान भी नहीं होना पडेगा और सभी खातेदार के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर जमीन का बराबर विभाजन हो जायेगा । चूंकि रेस्पोडेण्ट्स अपीलार्थी के भाई बंध है, इस कारण अपीलार्थी ने विश्वास कर रेस्पोडेण्ट्स के कहे अनुसार खाली कागजों पर हस्ताक्षर कर दे दिये। उसके उपरान्त रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 द्वारा अपीलार्थी को बंटवाडा प्रस्ताव के बारे में और कोई जानकारी नहीं दी । रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलाभगती कर गलत तौर पर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बंटवाडा प्रस्ताव व नक्शा ट्रेश बनाया, जिसमें जानबूझकर अपीलार्थी को गंगापुर–उदयपुर मुख्य रास्ते से काफी पीछे दूर हिस्सा दिया गया, जिसकी जानकारी भी उस समय अपीलार्थी को नहीं दी गई । हाल ही में जब अपीलार्थी अपनी कृषि भूमि पर था तथा रेस्पोडेण्ट संख्या लगायत 1 लगायत 3 ने उन्हें जबरन बेदखल करने का प्रयास किया तथा जमीन अपने नाम पर होने का दावा किया तब अपीलार्थी को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 3 से मिलाभगती कर बंटवाडा प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेश तैयार किया गया है जिसके आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात के बीच से भीलवाडा–उदयपुर फोरलेन मुख्य रास्ता होकर गुजर रहा है, इस कारण विभाजन होते समय सभी खातेदारान के हक हिस्से की भूमि फोरलेन से बराबर लगती हुई विभाजित होनी चाहिये । जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2017 के द्वारा अपीलार्थी को आराजी नम्बर 6002/4 व आराजी नम्बर 6345/3 आवंटित की है जिसका जो नक्शा ट्रेश बनाया गया है उसमें आराजी नम्बर 6002/4 रकबा 0.1264 है0 को भीलवाडा – उदयपुर फोर लेन के उत्तर दिशा की ओर आराजी नम्बर 6002/1 के पीछे की तरफ व आराजी नम्बर 6345/3 रकबा 0.0861 भीलवाडा उदयपुर फोरलेन के दक्षिण दिशा की ओर आराजी नम्बर 6343/2, 6343/3, 6344/1, 6344/2, 6344!/3, 6345/2 के पीछे की ओर आवंटित की । उक्त सभी फोरलेन से लगती हुई आराजी फोर लेन से सटमा होकर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 3 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलाभगती कर अपने नाम पर दर्ज करा ली व नक्शे में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

तरमीम करा ली । अपीलार्थी को आवंटित कृषि आराजी नम्बर 6002/4 व 6345/3 फोर लेन से काफी दूर स्थापित की गई है। इस प्रकार उक्त बंटवाडा निर्णव डिक्री में मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के सिद्धान्त का घोर उल्लंघन किया गया है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

10. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी वादग्रस्त कृषि आराजियात में भीलवाडा–उदयपुर फोरलेन मुख्य मार्ग के सटमा उत्तर व दक्षिण दोनों दिशाओं की ओर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना मौका स्थिति देखे, रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 3 से मिलाभगती कर उनके कहे अनुसार बंटवाडा प्रस्ताव व नजरी नक्शा मौका बनाया गया है। जिसमें अपीलार्थी की कोई स्वतंत्र सहमति नहीं रही है और न ही अपीलार्थी को उक्त बंटवाडा प्रस्ताव की उस समय कोई जानकारी हुई है। उक्त बंटवाडा प्रस्ताव व नक्शा ट्रेश मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के सिद्धान्त के अनुसार नहीं बनाये गये हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित किये जाने से पूर्व मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के सिद्धान्त की पालना बाबत विश्लेषण व अवलोकन करना चाहिये था। जिनका अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विवेचन नही किया गया है। बंटवाडा प्रस्ताव के आधार पर ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावे।

11. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया एवं कथन किया कि अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का पर्याप्त कारण नहीं दर्शाया है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

साथ ही प्रत्यर्थी गण के अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थीगण/वादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी नम्बर 5999 रकबा 0.04 है0, आराजी नम्बर 6002 रकबा 0.35 है0, आराजीनम्बर 6343 रकबा 0.21 है0, आराजी नम्बर 6344 रकबा 0.24 है0, आराजी नम्बर 6345 रकबा 0.32 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 1.16 है0 भूमि खाता संख्या 1214 पर स्थित है। उपरोक्त आराजियात में वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, तथा वादी संख्या 2 का 1/4 यानि वादीगण का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा निहित होने का कथन किया । साथ ही वादग्रस्त आराजियात में से आता चाह नम्बर 5999 रकबा 0.04 है0 को छोडते हुए शेष सभी आराजियात का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिवत रूप से विभाजन कराया जाकर वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा एवं वादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा यानि वादीगण का संयुक्त 1/2 हिस्से का स्वतंत्र राजस्व खाता रेवन्यू रेकार्ड में खोले जाने एवं स्वतंत्र कब्जा दिलाये जाने एवं आवागमन के लिए रास्ते सहित विभाजन की आज्ञप्ति बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित किये जाने का निवेदन किया । राजस्व लोक अदालत से प्रकरण का निस्तारण किये जाने के लिए अपीलार्थी/प्रतिवादी ने सहमति व्यक्त की है। जिस पर निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 28.6.2017 पारित की है। उसके उपरान्त बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करते समय भी उभयपक्ष की उपस्थिति रही है। अपीलार्थी द्वारा तैयार बंटवाडा प्रस्ताव पर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये है। जिस पर अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 31.10.2017 पारित की है। अतः' अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

12. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड एवं अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार करने के समर्थन में न्यायिक उद्धरण 2013 (1) आर एल डब्ल्यू, पेज 38, 2011 (1) आर एल डब्ल्यू पेज 459, 2019 (1) आर एल डब्ल्यू पेज 528 जिनका प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण में प्रतिपादित सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में एवं न्यायहित में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

13. प्रत्यर्थीगण वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी नम्बर 5999 रकबा 0.04 है0, आराजी नम्बर 6002 रकबा 0.35 है0, आराजीनम्बर 6343 रकबा 0.21 है0, आराजी नम्बर 6344 रकबा 0.24 है0, आराजी नम्बर 6345 रकबा 0.32 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 1.16 है0 भूमि खाता संख्या 1214 पर स्थित है। उपरोक्त आराजियात में वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, तथा वादी संख्या 2 का 1/4 यानि वादीगण का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादी संख्या 1/अपीलाण्ट का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा निहित होने का कथन किया है साथ ही वादग्रस्त आराजियात में से आता चाह नम्बर 5999 रकबा 0.04 है0 को छोडते हुए शेष सभी आराजियात का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिवत रूप से विभाजन

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कराया जाकर वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा एवं वादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा यानि वादीगण का संयुक्त 1/2 हिस्से का स्वतंत्र राजस्व खाता रेवन्यू रेकार्ड में खोले जाने एवं स्वतंत्र कब्जा दिलाये जाने एवं आवागमन के लिए रास्ते सहित विभाजन की आज्ञप्ति बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित किये जाने का निवेदन किया । अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण द्वारा तारीख पेशी दिनांक 17.10.2016 एवं 301.2017 को जवाब दावा प्रस्तत करने हेतु अवसर चाहा गया । दिनांक 28.6. 2017 को प्रकरण को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प मु0 सहाडा पर रखा गया जिसमें उभयपक्ष उपस्थित हुए । प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने जवाब दावा प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस करना चाहा । जिस पर उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री पारित की तथा तहसीलदार सहाडा से बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहरीर जारी किये जाने का निर्देश दिया गया । उक्त तारीख पेशी दिनांक 28.6. 2017 को अपीलार्थी की उपस्थिति स्वरूप पत्रावली में हस्ताक्षर है।

14. बंटवाडा प्रस्ताव पर सहमति स्वरूप अपीलार्थी के हस्ताक्षर हैं। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि उक्त बंटवाडा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार नहीं किया गया है । परन्तु अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न बंटवाडा प्रस्ताव पर तथा नक्शा ट्रेश पर अपीलार्थी के सहमति स्वरूप हस्ताक्षर के साथ–साथ राजस्व विभाग के कार्मिकगण के भी हस्ताक्षर हैं। नक्शा ट्रेश बनने के बाद ही उस पर हस्ताक्षर होना संभव है। अपीलार्थी का यह कथन है कि अपीलार्थी के खाली कागज पर प्रत्यर्थीगण/वादीगण द्वारा हस्ताक्षर कराये गये । ऐसी स्थिति में यह नही माना जा सकता है कि अपीलार्थी ने

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

खाली कागज पर हस्ताक्षर किये हों। अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) अधिनियम के नियम 18 से 21 की पालना में तैयार बंटवाडा प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 31.10.2017 पारित की गई है। जो विधिसम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

15. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.10.2017 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब किया जावे।

16. निर्णय आज दिनांक 21.8.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

21/8/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/180/2018

उनवान

1. सलीम मोहम्मद पुत्र शफी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. शब्बीर मोहम्मद आत्मज शफी मोहम्मद मुसलमान निवासी गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
2. हकीम मोहम्मद आत्मज शफी मोहम्मद मुसलमान निवासी गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

वादी/रेस्पोडेण्ट्स

3. सिराज मोहम्मद उर्फ सिरज मोहम्मद पुत्र शफी मोहम्मद मुसलमान निवासी गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के प्रकरण संख्या 95/2016 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.10..2017

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/180/2018** मे **उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डि्क्री जारी की जाती हैः

यह अपील तारीख 21.8.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री पुनीत शर्मा प्रत्थर्थी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री विवेकानन्द शर्माएवं प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 21.8.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.10.2017 को यथावत रखा जाता है। इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आज दिनांक 21.8.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

21/8/19

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)